

प्रेषक,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/2020/11475-75

दिनांक-23 अप्रैल, 2020

विषय- कोविड-19 संक्रमण से बचाव सम्बन्धी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकरण सत्र संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या अ0नि0/यू0आई0पी0/वैक्सीन/2020/प्रशा/4886-75 दिनांक 03 अप्रैल, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकरण सत्र संचालन दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक के लिये स्थगित करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में उल्लिखित करना है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकरण सत्रों का संचालन अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा। तदनुसार संबंधितों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

(Handwritten Signature)
23/04/2020

(एच0आर0 यादव)

निदेशक, मा0शि0क0।

पत्रांक-अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/2020/

दिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर आयुक्त (प्रतिरक्षण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।
6. प्रतिनिधि, डब्लू0एच0ओ0, यूनीसेफ, यू0एन0डी0पी0, रोटरी, कोर, आई0टी0एस0यू0।

फ- महाप्रबन्धक (आर0ओ0) स्त० श्य० श्श०, लखनऊ।

(एच0आर0 यादव)

निदेशक, मा0शि0क0।

प्रेषक,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / 2020 /

दिनांक— 23 अप्रैल, 2020

विषय— कोविड-19 संक्रमण से बचाव सम्बन्धी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकरण सत्र संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या अ0नि0 / यू0आई0पी0 / वैक्सीन / 2020 / प्रशा / 4886-75 दिनांक 03 अप्रैल, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकरण सत्र संचालन दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक के लिये स्थगित करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में उल्लिखित करना है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकरण सत्रों का संचालन अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा। तदनुसार संबंधितों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

(एच0आर0 यादव)

निदेशक, मा0शि0क0।

पत्रांक—अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / 2020 / 11550-~~1~~

दिनांकित—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर आयुक्त (प्रतिरक्षण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
 3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
 4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
 5. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।
 6. प्रतिनिधि, डब्लू0एच0ओ0, यूनीसेफ, यू0एन0डी0पी0, रोटरी, कोर, आई0टी0एस0यू0।
- महानिदेशक (आर0आई0) एवं सच0 एम0 लखनऊ।

(एच0आर0 यादव)

निदेशक, मा0शि0क0।